अध्याय 5 चाय विकास– चाय की गुणवत्ता सुधारना

उद्देश्य 3: क्या चाय बोर्ड द्वारा आरम्भ किए गए विकासात्मक कार्यकलाप भारत में चाय की गुणवत्ता सुधारने पर प्रभाव डालते थे।

चाय की गुणवत्ता सुधारना

5.1 चाय जैसे पदार्थ की कीमत उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है। विगत में भारतीय चाय का इसकी सर्वोच्च गुणवत्ता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रीमियम कीमतों पर पूरा अधिकार था।

भारतीय चाय की यूनिट कीमत में निम्नवृद्धि

5.2 चाय के निर्यात के संबंध में, यूनिट कीमत एक विशेष समय पर निर्यातित चाय की कुल मात्रा को उस समय पर निर्यातित चाय के कुल मूल्य द्वारा विभाजित कर परिकलित की जा सकती है। जापान, मोरीशस, श्रीलंका तथा केन्या जैसे अन्य प्रमुख चाय निर्यातक देशों की तुलना में भारतीय चाय की यूनिट कीमत निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है:

(प्रति किलोग्राम अमरीकी डालर में)

तालिका 7 – प्रमुख चाय निर्यातक देशों की चाय की यूनिट कीमत की तुलना[41]

देश का नाम	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 (ई)	2009
भारत	2.04	1.95	1.79	1.97	2.06	2.09	2.03	2.45	2.71	2.91
जापान	15.87	13.11	14.60	16.29	18.15	18.34	16.37	16.47	18.90	18.76
केन्या	2.12	1.75	1.58	1.68	1.64	1.67	2.09	1.99	2.34	2.63
मोरीशस	4.37	5.27	5.72	5.63	8.29	7.57	8.44	7.41	9.26	3.06
श्रीलंका	2.37	2.28	2.24	2.25	2.41	2.58	2.64	3.26	4.02	4.09

स्रोतः चाय बोर्ड, ई–अनुमानित

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि श्रीलंका द्वारा चाय के निर्यात से कीमत वसूली 73 प्रतिशत तक बढ़ गई है जबकि भारतीय चाय की कीमत वसूली में केवल 43 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई। भारतीय चाय की कीमत वसूली में निम्न वृद्धि का कारण मूलरूप से घटिया गुणवत्ता, प्रतिकूल उत्पाद मिश्रण तथा अन्य विपणन कारक थे। इसके अलावा विश्व बाजार परम्परागत चाय की मांग करता है वहीं भारत केवल 10 प्रतिशत परम्परागत चाय (90 प्रतिशत सीटीसी चाय) का उत्पादन करता है। इस प्रकार, चाय बोर्ड को सीटीसी चाय की गुणवत्ता में सुधार पर और परम्परागत चाय के उत्पादन पर जोर देने की आवश्यकता है।

दसवीं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान चाय बोर्ड द्वारा कार्यान्वित योजनाएं मुख्यतया अच्छी गुणवत्ता चाय के उत्पादन की ओर केन्द्रित थी और जोर देने वाले क्षेत्र संसाधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पुरानी घिसी पिटी मशीनों का नवीकरण, उत्पाद प्रोफाइल के विविधीकरण अर्थात सीटीसी से परम्परागत/हरी चाय निर्माण, पैकेजिंग मानक सुधारना तथा मूल्य बर्द्धित चाय तथा विशेष चाय की मात्रा में वृद्धि करना था। चाय बोर्ड ने गुणवत्ता सुधार के लिए तीन योजनाएं अर्थात परम्परागत चाय उत्पादन आर्थिक सहायता योजना, गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधीकरण योजना (क्यूयूपीडीएस) तथा क्रैश योजना प्रतिपादित और कार्यान्वित की।

परम्परागत चाय के उत्पादन में भारत की स्थिति

5.3 गत पांच वर्षो के दौरान निर्माण के विभिन्न विधियों द्वारा भारत में चाय का उत्पादन नीचे दिया गया है:

[41] 2009 से आगे के आंकड़े चाय बोर्ड में उपलब्ध नहीं है।

(मिलियन किलोग्राम में)

तालिका 8 – विभिन्न विधियों द्वारा भारत में चाय का उत्पादन

श्रेणी	2004	2005	2006	2007	2008 (ई)	2009 (ई)	2010 (ई)
सीटीसी	815	849	894	887	875	870	850
परम्परागत	71	87	77	89	97	95	100
हरी	7	10	11	10	9	14	16
जोड	**893**	**946**	**982**	**986**	**981**	**979**	**966**

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2010 में, भारत में कुल चाय उत्पादन में से 98 प्रतिशत काली चाय तथा केवल दो प्रतिशत हरी चाय का था। 98 प्रतिशत में से 88 प्रतिशत सीटीसी चाय तथा 10 प्रतिशत परम्परागत चाय का था।

परम्परागत चाय के निर्यात में निम्न भागीदारी

5.4 2008 में 1648 मिलियन किलोग्राम के विश्व चाय बाजार में काली चाय का हिस्सा 83 प्रतिशत है जबकि शेष 17 प्रतिशत हरी चाय का हिस्सा था। काली चाय खण्ड में परम्परागत चाय का हिस्सा 44 प्रतिशत है जबकि सीटीसी के लिए यह 39 प्रतिशत (643 मिलियन किलोग्राम) है। इस प्रकार परम्परागत/हरी चाय खण्ड विश्व चाय व्यापार का 61 प्रतिशत (1005 मिलियन किलोग्राम) बनते है। इसलिए यदि हम यह मान लेते हैं कि भारत में उत्पादित सभी परम्परागत/हरी चाय निर्यात की जाती है (परम्परागत हरी चाय की घरेलू खपत को हिसाब में लिए बिना) फिर भी परम्परागत/हरी चाय की निर्यात भागीदारी लगभग 10 प्रतिशत ही होगी। इस प्रकार निर्यात की अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत को परम्परागत चाय का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। 1961 से भारत में परम्परागत चाय उत्पादन की समग्र स्थिति नीचे की तालिका में दी गई है:

(मिलियन किलोग्राम में)

तालिका 9 – गत वर्षों में भारत में परम्परागत चाय उत्पादन की प्रतिशतता

वर्ष	परम्परागत चाय का उत्पादन [42]	चाय का कुल उत्पादन	कुल उत्पादन की प्रतिशतता
1961	232	354	66
1971	196	436	45
1981	203	560	36
1991	151	754	20
2001	94	854	11
2002	93	839	11
2003	79	878	9
2004	78	893	9
2005	97	946	10
2006	88	982	9
2007	99	986	10
2008	106	981	11
2009	109	979	11
2010	116	966	12

[42] हरी और परम्परागत चाय सहित

भारत में परम्परागत चाय उत्पादन की प्रतिशतता जो 1961 में कुल उत्पादन का अति उच्च 66 प्रतिशत थी घटकर 2001 में 11 प्रतिशत हो गई तब से भागीदारी कम या ज्यादा स्थिर रही है।

5.5 परम्परागत चाय के सीमित उत्पादन के कुछ मुख्य कारण उत्पादन करने के लिए अपर्याप्त क्षमता और सीटीसी चाय की तुलना में परम्परागत चाय की उच्च लागत है। चाय बोर्ड ने परम्परागत आर्थिक सहायता योजना और अपर्याप्त क्षमता के मुद्दों को क्यूयूपीडीएस के माध्यम से व क्रैश योजना के माध्यम से इन समस्याओं को संबोधित किया था। इन योजनाओं पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

परम्परागत चाय उत्पादन आर्थिक सहायता योजना

5.6 यह योजना, देश के अन्दर उत्पाद मिश्रण में असन्तुलन को ठीक करने के लिए और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की पहले की उच्च गुणवत्ता तथा प्रतिस्वर्धात्मक रूप से कीमती परम्परागत चाय के पूर्तिकर्ता के रूप में पूर्व प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना करने के लिए आरम्भ की गई थी। योजना जून 2005 में मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई थी और नवम्बर 2005 से मार्च 2011 तक के दौरान ₹132.41 करोड़ की राशि वितरित की गई थी। योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई है:

परम्परागत चाय उत्पादन अनुदान योजना के नियम व शर्तें

परम्परागत चाय उत्पादन आर्थिक सहायता योजना की शर्तें तथा निबन्धन योजना में 1 जनवरी 2005 से 31 मार्च 2007 तक पूर्व वर्ष से वृद्धि संबंधी मात्रा के लिए ₹3 प्रति किलोग्राम की दर पर अतिरिक्त प्रोत्साहन के साथ उत्पादन के वर्तमान स्तर के लिए पत्ती श्रेणी के लिए ₹2 प्रति किलोग्राम की दर पर और चूर्ण श्रेणी के लिए ₹2 प्रति किलोग्राम की दर पर परम्परागत चाय के उत्पादन हेतु आर्थिक सहायता की अनुमति दी गई।

(क) उन उत्पादकों के मामले में जिन्होंने केवल (100 प्रतिशत) परम्परागत चाय का उत्पादन किया, चाय बोर्ड को आवधिक निरीक्षण करने और विनिर्मित चाय की मात्राकी जांच करने के लिए फैक्टरी अभिलेखों का सत्यापन करना अपेक्षित था। बोर्ड के निरीक्षकों को यह सत्यापित करना था कि फैक्टरी बोर्ड में पंजीकृत थी और केवल 100 प्रतिशत परम्परागत चाय का उत्पादन किया गया था तथा आर्थिक सहायता के लिए उपयुक्त थी।

(ख) उन उत्पादनों के मामले में, जिन्होंने नीलामी के माध्यम से अपनी चाय बेची है, निश्चित माह के दौरान नीलामी के माध्यम से बेची गई चाय की मात्रा आर्थिक सहायता के लिए मानी जानी थी वशर्ते कि कथित मात्रा चाय के नीलामीकर्ता दलाल द्वारा प्रमाणित और संबंधित नीलामी आयोजन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की गई हो।

(ग) उत्पादकों, जिन्होंने अपनी चाय नीलामी के माध्यम से नहीं बेची या जिन्होंने 100 प्रतिशत परम्परागत चाय का उत्पादन नहीं किया था उदाहरणार्थ सीटीसी तथा परम्परागत चाय दोनों के उत्पादक के लिए उत्पादक द्वारा सीधे निर्यात के मामले में या मर्चेंट निर्यातकों के माध्यम से निर्यातों के लिए प्रस्तावित चाय के लिए दस्तावेजों की एक सूची निर्दिष्ट की गई थी, जिसपर आर्थिक सहायता जारी करने के लिए भरोसा किया जाना था जिससे यह सुनिश्चित हो कि आर्थिक सहायता सीटीसी चाय के लिए जारी नहीं की गई थी।

(घ) अतिरिक्त रूप से, दार्जिलिंग चाय उत्पादकों के मामले में केवल योजना अवधि के दौरान उत्पादित चाय की श्रेणियों के स्पष्ट संकेत के साथ बोर्ड की ट्रेड मार्क योजना प्रमाण न भार का योजना के अन्तर्गत प्रमाणित मात्रा, आर्थिक सहायता के लिए विचारयिन प्रमाणपत्र मानी जानी थी।

सभी मामलों में बोर्ड को यह सुनिश्चित करना था कि चाय की उसी मात्रा के लिए दो भिन्न तरीको के अन्तर्गत आर्थिक सहायता का दावा नही किया गया था।

वाणिज्य सचिव, अवर सचिव (रोपण), अवर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य विभाग, अध्यक्ष चाय बोर्ड और योजना आयोग के प्रतिनिधि, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, बैकिंग प्रभाग तथा उद्योग संघ

(उत्तर तथा दक्षिण) से बनी एक औपचारिक समिति को योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करनी थी। परम्परागत आर्थिक सहायता योजना के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

परम्परागत चाय के उत्पादन पर योजना का प्रभाव

5.6.1 (क) योजना जून 2005 में लागू की गई थी और आर्थिक सहायता वितरण नवम्बर 2005 से आरम्भ किया गया था। तथापि 2005 की तुलना में 2006, से 2010 तक परम्परागत चाय उत्पादन की मात्रा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ था यद्यपि ₹132.41 करोड़ की राशि वर्ष 2011 तक वितरित की गई थी। वास्तव में अपनी सिफारिश पर चाय बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप मध्यावधि निर्यात नीति में यथा सूचित प्रतिवर्ष 160 मिलियन किलोग्राम परम्परागत चाय के उत्पादन का लक्ष्य कभी पूरा नहीं हुआ था। चाय बोर्ड ने जनवरी 2010 में बताया कि परम्परागत चाय के मूल्य मुख्यतः बाजार से संचालित/प्रेरेक्षित था। परम्परागत चाय की अखिल भारतीय औसत नीलामी कीमत 2004 में ₹77.18 थी जबकि 2005 में यह ₹63.42 थी। इसलिए 2005 की घटती प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर मालिकों ने 2006 के दौरान अधिक परम्परागत चाय उत्पादन करने का जोखिम नहीं उठाया था। यह इंगित करता है कि पहले दो वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत चाय बोर्ड द्वारा वितरित आर्थिक सहायता का कोई प्रभाव नहीं हुआ था।

(ख) 160 मिलियन किलोग्राम का लक्ष्य दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के लिए मध्यावधि निर्यात नीति (मंत्रालय द्वारा अनुमोदित) में निर्धारित किया गया था। तथापि यह सीटीसी चाय से दोहरे निर्माण (सीटीसी तथा परम्परागत) तक अपने उत्पाद प्रोफाइल उद्योग के विविधीकरण पर निर्भर था। इस संबंध में बोर्ड की भूमिका सर्वप्रथम सीटीसी निर्माण इकाई, नए सदस्यों, जो स्वयं को दोहरे निर्माता में बदलने, परम्परागत चाय का निर्माण आरम्भ करने में सक्षम थे, की पहचान करना था। इकाइयों का निर्धारण करने के बाद निधियों की आवश्यकता अनुमानित की जानी थी और तदनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जानी थी। हमने देखा कि बोर्ड ने कथित कार्य नहीं किए। इसलिए न तो 160 मिलियन किलोग्राम का लक्ष्य, जो मध्यावधि निर्यात नीति द्वारा निर्धारित किया गया था, और न ही दसवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार निर्धारित 126 मिलियन किलाग्राम प्रतिवर्ष का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के दौरान बोर्ड ने परम्परागत चाय उत्पादन के लिए 380 मिलियन किलोग्राम का लक्ष्य निर्धारित किया अर्थात 76 मिलियन किलोग्राम प्रतिवर्ष के औसत पर। लक्ष्य का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि वर्ष 2007 तक वार्षिक उत्पादन कभी भी 76 मिलियन किलोग्राम से कम नहीं रहा है।

(घ) योजना की प्रभावकारिता की उच्च स्तर समिति द्वारा निगरानी की जानी थी। तथापि जनवरी 2008 तक योजना की ऐसी कोई निगरानी नहीं की गई थी। मंत्रालय ने अक्तूबर 2009 में बताया कि योजना मूल्यांकन का कार्य एक स्वतन्त्र व्यवसायी को सोंपा गया था और मध्यावधि सुधार, यदि कोई हो, अध्ययन के परिणाम के आधार पर किया जाएगा।

(ड.) हमने आगे देखा कि पात्रता शर्तें इस आशय से दोषपूर्ण थीं कि परम्परागत चाय के उत्पादन की अल्पतम प्रतिशतता बढ़ाने के लिए इसे अनिवार्य बनाए बिना उत्पादन/नीलामी बिक्री/निर्यात आदि की मात्रा के आधार पर आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया था।

मंत्रालय ने अक्तूबर 2009 में बताया कि उत्पादक को परम्परागत चाय के उत्पादन में शामिल जोखिम में एक घटक बनने की आवश्यकता है। इसलिए अनिवार्य आवश्यकता के रूप में उत्पादन वृद्धि की न्यून प्रतिशतता पूर्वनिर्धारण की अपेक्षा प्रोत्साहनीकरण के माध्यम से बढ़ता उत्पादन प्राप्त करना अपेक्षित था।

तथापि तथ्य यह शेष रहता है कि परम्परागत चाय उत्पादन में अवगम्य वृद्धि के लिए किसी निर्देशचिन्ह के अभाव में प्रदत्त आर्थिक सहायता का कोई प्रभाव नहीं हुआ था। स्वतन्त्र व्यवसायी

ऐजेंसी, जिसे योजना के मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया था, का भी विचार[43] (दिसम्बर 2009) था कि उत्पादित चाय की मात्रा तथा गुणवत्ता का लिहाज किए बिना व सभी क्षेत्रों में आर्थिक सहायता योजना की प्रजातिगत प्रकृति के कारण योजना का सटीक मूल्यांकन नहीं किया जा सका था।

आर्थिक सहायता का अधिक/अनियमित भुगतान

5.6.2 2009 में भारत में 482 परम्परागत चाय फैक्टरियां थीं (दोहरा निर्माण करने वाली फैक्टरियों सहित) जिनमें से 321, 323, 374 तथा 230 फैक्टरियों को क्रमशः वर्ष 2005, 2006, 2007 तथा 2008 में आर्थिक सहायताएं वितरित की गई थी। हमने नमूना जांच आधार पर नवम्बर 2005 से दिसम्बर 2009 तक की अवधि के दौरान 115 फैक्टरियों[44] को शामिल कर 204 भुगतान मामलों की समीक्षा की थी। 100 प्रतिशत परम्परागत चाय उत्पादकों के मामलों के संबंध में हमने देखा कि:

(क) 100 प्रतिशत परम्परागत चाय का निर्माण करने वाली सभी 60 फैक्टरियों में मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार विनिर्मित चाय की मात्रा सत्यापित करने के लिए चाय बोर्ड ने फैक्टरी अभिलेखों का आवधिक निरीक्षण नहीं किया था। वास्तव में चाय बोर्ड ने अक्तूबर 2006 में योजना संशोधित की और बताया कि उत्पादित चाय की मात्रा से संबंधित प्रक्रिया फैक्टरी में उत्पादित द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित होगी। तथापि हमने पाया कि फैक्टरी में उत्पादित चाय की मात्रा उत्पाद शुल्क बीजकों से सत्यापित नहीं की जा सकी क्योंकि बीजकों में फैक्टरी परिसरों से चाय के कुल प्रेषण के सम्मिलित थे जिसमें पूर्व के दौरान उत्पादित चाय या मिश्रण तथा बिक्री के लिए बाहर से खरीदी गई चाय शामिल हो सकती थी। इस प्रकार विनिर्मित चाय की मात्रा का सत्यापन करने के लिए फैक्टरी अभिलेखों के सत्यापन हेतु आवधिक निरीक्षण न कर चाय बोर्ड ने परम्परागत चाय के उत्पादन में कमी/वृद्धि का लिहाज किए बिना सभी फैक्टरियों के आर्थिक सहायता वितरित की। चार[45] निर्देशों मामलों में हमने देखा कि चाय बोर्ड ने 2005 के दौरान 905455 किलोग्राम के लिए उत्पाद शुल्क बीजकों के आधार पर आर्थिक सहायता वितरित की थी। तथापि हमने देखा कि चाय बोर्ड को उनके द्वारा प्रस्तुत ई–विवरणियों के आधार पर इन फैक्टरियों द्वारा वास्तव में उत्पादित मात्रा केवल 8,06,662 किलोग्राम थी। इसलिए चाय बोर्ड ने 98,793 किलोग्राम की अधिक मात्रा के लिए आर्थिक सहायता का भुगतान किया था।

मंत्रालय ने बताया कि योजना मार्गनिर्देश के अनुसार उत्पाद शुल्क बीजक के आधार पर आर्थिक सहायता के भुगतान किया गया था और न कि ई–विवरणी के आधार पर। इसलिए कोई अधिक भुगतान नहीं हुआ था। तथापि तथ्य यह शेष रहता है कि चाय के उत्पादन की घोषणा कर ई–विवरणियां निर्माताओं द्वारा चाय बोर्ड को मासिक प्रस्तुत की जाती है जबकि उत्पाद शुल्क बीजक निर्यातित चाय की मात्रा दर्शाता है जिसमें उनकी फैक्टरी के बाहर के निर्माता द्वारा उत्पादित चाय की मात्रा का भाग शामिल हो सकता था। इसलिए हमारा विचार है कि मार्गनिर्देशों में निष्पादित शर्त अपने आप दोषपूर्ण है।

(ख) उपर्युक्त 60 फैक्टरियों में से 54 केस फाइलों में चाय बोर्ड ने यह बताते हुए एक प्रमाण पत्र रिकार्ड में नहीं रखा था कि ये फैक्टरियां 100 प्रतिशत परम्परागत चाय का उत्पादन कर रही थीं। मार्च 2010 में चाय बोर्ड ने बताया कि एक बार निरीक्षण की गई फैक्टरियों का 100 प्रतिशत परम्परागत चाय फैक्टरियों के रूप में उन्हें प्रमाणित करने के लिए उनका प्रति वर्ष निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि हमने देखा कि छः फैक्टरियों, जिनको 2005 में ही आर्थिक सहायता वितरित की गई थी अर्थात योजना के शुरूआत के और इसका कोई प्रमाणपत्र रिकार्ड में रखा नहीं गया था।

(ग) अन्य दो[46] मामलों में, पूर्ण वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान बढ़ती मात्रा संगणित करते समय बोर्ड ने केवल उन महीनों के ध्यान में रखा जहॉ उत्पादन में वृद्धि हुई थी और उन महीनों को छोड़ दिया

[43] एसी नील्सन द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और मंत्रालय की स्वीकृति/अनुमोदन प्रतीक्षित है।

[44] 60 फैक्टरियां केवल परम्परागत चाय का विनिर्माण कर रही है, 21 फैक्टरियां दार्जिलिंग चाय का विनिर्माण कर रही है, 20 सीटीसी एवं परम्परागत चाय दोनो का विनिर्माण कर रही हैं तथा 14 हरी चाय फैक्टरियां है।

[45] के.डी.एच.पी. प्रा.लिमि., स्टेन्स अमलगमेटेड एस्टेट लिमि., रहीमपुर टी. कम्पनी लिमि., हरीसन मलयात्मक लिमिटेड।

[46] भवानी टी कम्पनी लिमिटेड, यूनाइटेड नीलगिरी टी एस्टेट क. लिमि.

जिनमें पूर्व अवधि के संबंध में कमी हुई थी। इस प्रकार उत्पादन की बढ़ती मात्रा के गलत संगणन के कारण बोर्ड ने ₹2.97 लाख का अधिक भुगतान किया। मंत्रालय ने बताया कि आर्थिक सहायता पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के बढ़ते उत्पादन पर अदा की गई थी। तथापि तथ्य यह शेष रहता है कि इस अवधि के दौरान उत्पादन में कमी के हिसाब में लिए बिना कुल वृद्धि नहीं निकाली जा सकती है। केवल बढ़ी हुई मात्रा के महीनों को ध्यान में रखकर और न कि घटी मात्रा के महीनों को तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें किसी वर्ष के दौरान सम्पूर्ण बढ़ती वृद्धि के बिना आवेदन आर्थिक सहायता प्राप्त करेगा। इस बचाव के रास्ते को बन्द करने की आवश्यकता है।

(घ) दार्जिलिंग चाय उत्पादकों के संबंध में, उत्पादित चाय की श्रेणियों के स्पष्ट संकेत के साथ बोर्ड की प्रमाणन मार्का (सीटीएम) योजना के अन्तर्गत प्रमाणित मात्रा के लिए आर्थिक सहायता वितरित की जानी थी। तथापि हमने नमूना जांच में सभी 21 मामलों में देखा कि चाय बोर्ड ने दार्जिलिंग चाय संघ द्वारा प्रस्तुत की गई योजना के आधार पर और न कि सीटीएम योजना के आधार पर, आर्थिक सहायता वितरित की। चाय बोर्ड ने मार्च 2010 में उत्तर दिया कि यह सीटीएम योजना में अलग श्रेणी के संकेत के अभाव के कारण था।

(ड़) चाय बोर्ड ने 91 आवेदकों के ऋण जिस पर उन्होंन चूक की थी, के प्रति ₹1.64 करोड़ की आर्थिक सहायता का समायोजन किया था जिससे उनकी परम्परागत चाय की उत्पादन लागत कम करने का निर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रयोजन विफल हो गया। मंत्रालय ने बताया कि यह बोर्ड का नीति का निर्णय था। तथापि तथ्य यह शेष रहता है कि इन मामलों में परम्परागत चाय का उत्पादन प्रोत्साहित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, जबकि चाय उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों को अधिकार में लेने के लिए परम्परागत चाय का अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता थी वहीं भारत में परम्परागत चाय का उत्पादन पर्याप्त नहीं है। परम्परागत चाय उत्पादन बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड की सहायता प्रभावी नहीं हुई थी क्योंकि आर्थिक सहायता जारी करने के लिए परम्परागत चाय के उत्पादन में अवगम्य वृद्धि की अनिवार्य शर्त नहीं थी।

गुणवत्ता उन्नयन तथा उत्पाद विविधीकरण योजना

5.7 क्यू.यू.पी.डी. योजना अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन तथा पैकेजिंग मानक, उत्पाद विविधीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणपत्र सुधारने के द्वारा अपनी संसाधन क्षमताएं बढ़ाने की ओर गरीब चाय बागानों/फैक्टरियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 2002 से लागू की गई थी। चाय बोर्ड ने 2002–09 के दौरान ₹109.43 करोड़ प्राप्त किए और भारत में कुल 1896 निर्माण इकाइयों में से 1747 निर्माण इकाइयों को ₹110.87 करोड़ वितरित किए गए थे। योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई है:–

गुणवत्ता उन्नयन तथा उत्पाद विविधीकरण योजना की शर्तें तथा निबन्धन

- बॉट लीफ फैक्टरियां, एकल सम्पदा चाय फैक्टरियां तथा मध्यम आकार चाय बागान आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र थे।
- रोलर, परम्परागत ड्रायर और विभिन्न छंटाई उपकरण (मिडलटन सार्टर, बोईक्रोमेटिक कलर सार्टर आदि) सहित परम्परागत संसाधन सुविधाओं, विदरिंग सुविधाओं निर्माण सहित पूर्ण विदरिंग ट्राफ को आर्थिक सहायता दी जानी थी,
- हरी चाय संसाधन सुविधाएं, चाय पैकेजिंग सुविधाएं, चाय थैला भरना सुविधाएं, चाय सफाई उपकरण, मिश्रण तथा सहायक मशीनरी को भी आर्थिक सहायता दी जानी थी।

- आवेदक फैक्टरी को अपेक्षित कुल निधियों के 75 प्रतिशत का मौबलाइज करना था और चाय बोर्ड ने अनुमोदित मशीनरी के प्रतियापन के बाद ₹0.25 करोड़ की एक किश्त में कुल लागत के 25 प्रतिशत की आर्थिक सहायता प्रदान की थी

- आईएसओ[47] / एचएसीसीपी[48] तथा कार्वनिक प्रमाणन की खरीद के लिए आर्थिक सहायता अधिकतक ₹0.75 लाख के प्रमाणन की लागत के 50 प्रतिशत तक बढ़ाई गई थी।

प्रभाव/उपचित लाभों की अप्रभावी निगरानी

5.7.1 हमने संवीक्षा के लिए 19 प्रतिशत (1747 मे से 338) मामलों का नमूना चयन किया और देखा कि:

(क) चयनित किसी भी मामले में हरी पत्ती की गुणवत्ता सत्यापित नहीं की गई थी यद्यपि आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माण इकाइयों को योजना मार्गनिर्देशों के अनुसार केवल अच्छी गुणवत्ता हरी पत्ती[49] का उपयोग करना था। मंत्रालय ने बताया कि ये सामान्य मार्गनिर्देश थे और यह सुनिश्चित करना फैक्टरी का उत्तरदायित्व था कि उन्होंने केवल अच्छी गुणवत्ता हरी पत्ती खरीदी है और बोर्ड की ओर से प्रत्येक फैक्टरी द्वारा खरीदी गई पत्ती की गुणवत्ता पर दैनिक निगरानी रखना सामान्यतया असम्भव कार्य होगा। उत्तर को इस तथ्य की दृष्टि से देखा जाए कि यह आर्थिक सहायता वितरण के लिए महत्वपूर्ण शर्तों में से एक थी जिसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप 12 प्रतिशत ब्याज के साथ साथ आर्थिक सहायता का वापिस करना था। इस प्रकार केवल अच्छी गुणवत्ता हरी पत्ती के लिए आर्थिक सहायता वितरित करने की योजना का अभिप्राय चाय बोर्ड में सत्यापन तन्त्र के अभाव में पूरा नही हुआ था।

(ख) बोर्ड ने कीमत वसूली, उत्पाद वृद्धि, गुणवत्ता उन्नयन तथा निर्माण प्रक्रिया में लागत कटौती के रूप में कार्यकलाप से उपचित लाभों का निर्धारण नहीं किया जैसा कि योजना में अपेक्षित था। यद्यपि मंत्रालय ने बताया कि योजना का स्वतन्त्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया गया था परन्तु हमने देखा कि प्रत्येक मामले का मूल्यांकन नहीं किया गया था जैसाकि योजना के अन्तर्गत निर्धारित है।

(ग) प्रतिष्ठापित मशीनरी मदों का निष्पादन और मूल्य वसूली के रूप में उपचित लाभ, वृद्धि, संसाधन की लागत में कमी दर्शाते हुए वार्षिक दस्तावेज प्रस्तुत करने अपेक्षित थे हमने पाया कि कोलकाता तथा गुवाहाटी कार्यालयों के संबंध में किसी ग्राहक द्वारा यह प्रस्तुत नहीं किया गए थे। कुन्नूर कार्यालय के संबंध में यद्यपि चार मामलों में निर्माताओं ने वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत की, परन्तु अनुवर्ती सूचना केवल एक वार भेजी गई थी और न कि प्रत्येक वर्ष जैसा कि अपेक्षित था। इस प्रकार ऐसे ब्यौरों के अभाव में चाय बोर्ड में आर्थिक सहायता के प्रभाव पर अनुवर्ती कार्रवाई का कोई तन्त्र नहीं था। मंत्रालय सहमत था और अक्तूबर 2009 में बताया कि अनिवार्य प्रस्तुतीकरण और चालू योजना अवधि में प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद निष्पादन रिपोर्ट की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कार्रवाइयां आरम्भ की गई है।

अयोग्य मदों के लिए प्रदत्त आर्थिक सहायता

5.7.2 चाय बोर्ड ने 338 मामलों में से 41 में कन्वेयर प्रणालियां, डिह्यूमिडिफायर्स, एसी मशीन, इलेक्ट्रोनिक बेइंग स्केल, नमी मापक, विद्युतीय उपकरण तथा जुडनार आदि जैसी अयोग्य मदों के लिए ₹1.40 करोड़ की आर्थिक सहायता का भुगतान किया। इन अयोग्य मदों को आर्थिक सहायता को जारी करने का कोई औचित्य चाय बोर्ड द्वारा दर्ज नहीं किया गया था। मंत्रालय ने अक्तूबर 2009 में बताया कि जब और जैसे उद्योग अतिरिक्त मदों की मांग करता है, अयोग्य मदों की सूची का लगातार अद्यतन किया जाता है। योजना के किसी प्रतिमान को संशोधित/माफी/छूट के चाय बोर्ड को शक्ति

[47] अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन

[48] खतरा विश्लेषण तथा क्रान्तिक नियंत्रण बिन्दु (एचएसीसीपी) खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवाणु तथा अन्य खतरो की पहचान तथा निवारण करने के लिए अभिकल्पित एक प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली है। इसमें समस्याओं के उठने से पूर्व उनके निदान के लिए तथा विसंगसतियों, जैसे ही उनकी खोज की जानी है, को सही करने के लिए अभिकल्पित कदम शामिल होते है। प्रलेखन तथा सत्यापन के साथ ऐसी निवारक नियंत्रण प्रणाली सुरक्षित खाद्य काउत्पादन करने के लिए उपलब्ध अति प्रभावी अभिगम के रूप में वैज्ञानिक अधिकारियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा व्यापक रूप से मान्य हैं। भारतीय मानक ब्यानों (बीआईएस) ऐसे प्रमाणन का प्रस्ताव करता है।

[49] दो या तीन पत्तियों से बनी पत्ती का अनधिक 85 प्रतिशत + एक या दो पत्ती बेंजी

है वशर्तें यह योजना के उद्देश्य की पूर्ति करता है। तथापि चाय बोर्ड द्वारा दी गई ऐसी मांफी/छूट इन मामलों में लिखित में नहीं पाई गई थी।

सीटीसी से परम्परागत चाय के परिवर्तन का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया

5.7.3 (क) नमूना जांच किए गए 338 मामलों में 157 (46 प्रतिशत), जिन्होंने वर्तमान मशीनरी के उन्नयन के लिए ₹16.87 करोड़ की आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त किया था। एकमात्र सीटीसी चाय के निर्माता थे। केवल वे ही परम्परागत चाय निर्माण को परिवर्तित कर सकते थे। तथापि उन्होंने परम्परागत चाय के उत्पादन को परिवर्तित करने के स्थान पर अपनी वर्तमान मशीनरी को उन्नत करने का चयन किया। मंत्रालय ने बताया कि योजना में सीटीसी से परम्परागत में परिवर्तन को सुगम करने का केवल एक समर्थकारी प्रावधान था परन्तु चाय फैक्टरियों पर इसे अनिवार्य रूप से थोपा नहीं जा सकता था क्योंकि यह बाजार स्थितियों के लिहाज में फैक्टरी प्रवन्धनों द्वारा निश्चित किए जाने वाला एक वाणिज्यिक प्रस्ताव था। इस प्रकार सीटीसी से परम्परागत चाय के परिवर्तन का उद्देश्य इन मामलों में पूरा नहीं किया गया था।

5.7.3 (ख) एक मामले में एक कम्पनी ने नई परम्परागत फैक्टरी की स्थापना करने के लिए मई 2006 में आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया और जापान से कलर साटर मशीन खरीदी। यद्यपि फर्म ने सितम्बर 2008 तक कथित मशीन की खरीद नहीं की थी परन्तु चाय बोर्ड ने आवेदन के प्रस्तुतीकरण से पूर्व खरीदी गई तथा प्रतिष्ठापित अन्य मशीनों के लिए ₹20.85 लाख की आर्थिक सहायता जारी की। इस प्रकार आर्थिक सहायता जारी करने का प्रयोजन प्राप्त नहीं किया गया था।

5.7.3 (ग) केवल 15 मामलों (4 प्रतिशत) में मिश्रण तथा पैकेजिंग को प्रोत्साहित करने के लिए चाय बोर्ड ₹5.82 करोड़ की आर्थिक सहायता जारी की गई थी।

गुणवत्ता प्रमाणन तथा जानकारी के उद्देश्य प्राप्त न करना

5.7.4 338 मामलों में से केवल 11 मामलों में खतरा विश्लेषण तथा गंभीर नियंत्रण बिन्दु (एचएसीसीपी) प्रमाणन तथा कार्वनिक चाय प्रमाणन के लिए आर्थिक सहायता जारी की गई थी। नमूना जांच किए गए किसी भी मामले में छोटे उत्पादक खण्ड में गुणवत्ता जानकारी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता जारी नहीं की गई थी। इस प्रकार गुणवत्ता प्रमाणन आरम्भ करने और गुणवत्ता जानकारी प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया था। मंत्रालय ने इसके लिए कोई उत्तर नहीं दिया।

क्रैश योजना

5.8 वर्ष 2001–02 में चाय बोर्ड ने निर्माताओं की निर्माण क्षमताओं में असंतुलन में सुधार और अनुकूलित (आरसी)[50] सीटीसी चाय के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए क्रैश योजना लागू की। नौवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना में 79 फैक्टरियों को ₹8.23 करोड़ का भुगतान किया गया था। 25 मामलों (32 प्रतिशत)की हमारी समीक्षा ने दर्शाया कि चाय बोर्ड ने पांच मामलों में योजना शर्तों में उल्लिखित के अतिरिक्त मशीनरी के लिए आर्थिक सहायता की अनुमति दी थी। केवल तीन फैक्टरियों परिवर्तन के लिए प्रतिबंधित थी और 18 फैक्टरियों ने उसके अनिवार्य होने के बावजूद, एचएसीसीपी/आईएसओ के अन्तर्गत गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त किया था। चाय बोर्ड ने योजना की अपेक्षा के अनुसार तैयार चाय के साथ–साथ गुणवत्ता मानकों की नमूना जांच तथा सत्यापन नहीं किया था।

मूल्य सहायिकी योजना (पीएसएस)

5.9 योजना का उद्देश्य हरी पत्तियों की निम्न मूल्य वसूली के दृटिगत चाय के पंजीकृत छोटे उत्पादकों को राहत देना था। योजना मूल्य स्थिति के आधार पर चार महीनों (फरवरी 2004 से) के लिए प्रचालित की गई थी और निलम्बित की जानी थी यदि तैयार चाय का औसत मूल्य पांच लगातार सप्ताहों की दक्षिण भारतीय नीलामियों में ₹55 प्रति किलो और उत्तर भारतीय नीलामियों ₹65 प्रति किलो अधिकत ₹2.00 के अध्यधीन ₹55 या ₹65 की अधिकतम मूल्य सीमा और क्षेत्र के प्रति किलों तैयार चाय की मासिक औसत नीलामी मूल्य के बीच अन्तर के एक चौथाई के बराबर राशि थी।

[50] दक्षिण भारत की बॉट लीफ फैक्टरियॉं (बी.एल.एफ.–फैक्टरी जो लघु उत्पादकों से पत्तों का कम से कम 2/3 भाग प्राप्त करती थी), कच्चे माल से कोआर्स लीफ की उच्च प्रतिशतता (अर्थात् मुढ़ी से टूटे हरे पत्ते) परिमाणतः न्यून/सूखे पत्ते जो विनिर्माण के तदनंतर सूरो के दौरान परिमाणतः बड़ी नॉल के बनाने और विनिर्माण मानकों की पृष्टि का होना। ऐसी चाय का कोई बाजार नहीं था। बी.एल.एफ. का हरी पत्तियों के क्रेश बंच के साथ अविक्रयशील पुनः कंडीशनिंग हेतु चाय के पुनः प्रयोग करती हैं। यह प्रैक्टिस वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे चाय की गुणवत्ता में उप मानक का विनिर्माण होता है। यह योजना गुणवत्ता बढ़ाने की दो अवधारणों नामतः चाय पत्तियों के उत्तम फ्लकिंग (उच्च सुक्यूलेंट एवं टेंडर पत्तियों से अच्छी गुणवत्ता चाय का उत्पादन अर्थात् शूट के टिप से पहले 2 से 3 पत्ते) और चाय फैक्टरी में चाय प्रक्रिया के असंतुलन को ठीक करने को संवोधित करती है, के लिए शुरू की गयी थी।

योजना की अन्य विशषताएं निम्नवत थी :–

मूल्य सहायिकी योजना की शर्तें तथा निबन्धन

- छोटे उत्पादकों को अपनी संबंधित फैक्टरियों को निर्धारित फार्म (फार्म I) में आवेदन प्रस्तुत करना था और फैक्टरी को अपने सभी पूर्तिकार छोटे उत्पादकों (फार्म II) के संबंध में इन विवरणों को संकलित करना था और उन्हें आर्थिक सहायता का दावा करने के लिए चाय बोर्ड को भेजना था।
- चाय बोर्ड ने चाय फैक्टरियों के आर्थिक सहायता प्रदान की, उनमें प्रत्येक से स्टाम्प लगी रसीद प्राप्त करने के बाद फैक्टरियों द्वारा छोटे उत्पादकां को वितरित और भुनाई की जानी थी।
- फैक्टरियों को मूल नकद रसीदों और अलग खाते (फार्म III) में प्रत्येक माह भुगतान की मात्रा का रखरखाव करना था और इस आशय का बोर्ड को मासिक प्रमाणपत्र (फाम IV) भेजना था कि संस्वीकृति आदेश के अनुसार प्रत्येक पूर्तिकार छोटे उत्पादकों को भुगतान किया गया था।
- सभी चाय फैक्टरियों से नकद रसीदें तथा आर्थिक सहायता भुगतान खाता से संबंधित सभी अभिलेख उचित प्रकार बनाने की अपेक्षा की गई थी ताकि उन्हे सत्यापित करने में चाय बोर्ड अधिकारी समर्थ हो सके।

2004–05 तथा 2005–06 के दौरान बोर्ड ने इस योजना के अन्तर्गत ₹21.33 करोड़ वितरित किए गए जिसमें से ₹21.14 करोड़ (99 प्रतिशत) कुन्नूर कार्यालय से वितरित किए गए थे। हमने देखा कि मार्च 2005 तक कुन्नूर कार्यालय ने 194 चाय फैक्टरियों के ₹20.36 करोड़ की आर्थिक सहायता वितरित की जिन्होने आगे 47379 छोटे उत्पादको को आर्थिक सहायता वितरित की। इस संबंध में हमने निम्नलिखित देखाः

भुगतान अपंजीकृत उत्पादकों को किया गया

5.9.1 बोर्ड ने कुन्नूर के अपने क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से दक्षिण भारत में चाय उगाने वाले 47,379 उत्पादकों को आर्थिक सहायता वितरित की। तथापि हमने देखा कि दक्षिण भारत मे बोर्ड में पंजीकृत छोटे उत्पादकों की कुल संख्या दिसम्बर 2009 तक 16,583 थी। उस हैसियत से बोर्ड ने 30,796 ऐसे उत्पादकों को आर्थिक सहायता जारी की जो बोर्ड में पंजीकृत नहीं थे।

छोटे उत्पदकों को भुगतान के उचित अभिलेख नहीं बनाए गए थे

5.9.2 194 चाय फैक्टरियों में से केवल 31 ने छोटे उत्पादकों को ₹2.32 करोड़ की आर्थिक सहायता के वितरण से संबंधित घोषणा करते हुए फार्म IV प्रस्तुत किया। आगे अभिलेखों ने दर्शाया कि यद्यपि इन फैक्टरियों के माध्यम से 47379 छोटे उत्पादकों को आर्थिक सहायता वितरित की गई थी परन्तु चाय बोर्ड कुन्नूर में ₹4.60 लाख के लिए केवल 393 छोटे उत्पादकों के निस्तारण पाए गए थे। इस प्रकार यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि शेष 163 फैक्टरियों ने ₹20.31 करोड़ की आर्थिक सहायता की राशि का भुगतान किया था जैसा कि शेष 46,986 छोटे उत्पादकों को चाय बोर्ड द्वारा वितरण किया गया।

मंत्रालय ने बताया कि योजना पूर्णतया एक तदर्थ हस्तक्षेप था जिसमे संकट स्थिति को पार लगाने के लिए छोटे उत्पादकों को कुछ राहत प्रदान की गई थी कोई सकारात्मक परिवर्तन करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तथापि शेष 46,986 उत्पादकों को ₹20.31 करोड़ के वितरण की प्रामाणिकता पर मंत्रालय ने कोई टिप्पणी नहीं की।

हमारी सिफारिशें तथा चाय बोर्ड की प्रतिक्रिया

5.10 हमने नवम्बर 2009 में सिफारिश की कि परम्परागत चाय के उत्पादन में अभिगम्य वृद्धि के लिए परम्परागत आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता जारी करने के लिए एक शर्त निर्धारित की जाए। हमने परम्परागत चाय की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए क्यू.यू.पी.डी. योजना के कार्यान्वयन के लिए निगरानी तन्त्र की सुदृढ़ करने की भी सिफारिश की। हमने आगे सिफारिश की उपचारी उपायों के लिए आर्थिक सहायता के भुगतान के बाद भी गुणवत्ता में कमी के कारणों का विश्लेषण करने के लिए एक तन्त्र विकसित किया जाए।

चाय बोर्ड ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और अक्तूबर 2010 में बताया कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान योजना जारी रखने के लिए सरकार के सहमत होने की दशा में उत्पादन में अभिगम्य वृद्धि के लिए निर्देश चिन्ह लागू करने से संबंधित लेखापरीक्षा सुझाव को कार्यान्वयन के लिए ध्यान में रखा जाएगा। चाय बोर्ड ने वास्तविक परम्परागत चाय उत्पादन सत्यापित करने के लिए फैक्टरी अभिलेखों के आवधिक निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को अगस्त 2010 में निर्देश जारी किए। चाय बोर्ड ने चाय की गुणवत्ता पर वितरित आर्थिक सहायता का प्रभाव और उचित उपचारी उपायों का आकलंन विकसित करने के लिए एक तन्त्र स्थापित करने, नए संवर्ग के रूप में फैक्टरी विकास अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा फैक्टरियों के निरीक्षण को सृदृढ़ करने का प्रस्ताव किया।

निष्कर्ष

5.11 भारतीय चाय की निम्न कीमत वसूली मुख्यतया अवर गुणवत्ता तथा प्रतिकूल उत्पाद मिश्रण के कारण था। परम्परागत चाय उत्पादन आर्थिक सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य देश के अन्दर उत्पाद मिश्रण में असन्तुलन को ठीक करना था। परम्परागत चाय के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई थी और परम्परागत चाय का वास्तविक उत्पादन योजना के चार वर्षों से अधिक समय से प्रचालित होने के बावजूद भी चाय बोर्ड के लक्ष्य से पर्याप्त रूप से निम्न थी। योजना रूग्ण थी क्योंकि इसमें आर्थिक सहायता की पात्रता की पूर्व अपेक्षा के रूप में परम्परागत चाय के उत्पादन में वृद्धि निर्धारित नहीं की गई थी और अप्रभावीरूप से लागू की गई थी क्योंकि आर्थिक सहायता के उचित दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के बावजूद/फैक्टरी अभिलेखों का उचित सत्यापन किए बिना अनुमत की गई थी।

क्यू.यू.पी.डी. योजना हरी पत्तियों की गुणवत्ता में सुधार, उच्च मूल्य वसूली, उत्पाद वृद्धि तथा गुणवत्ता उन्नयन सुनिश्चित नहीं कर सकी। उत्पाद विविधीकरण का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किया गया था।

मूल्य सहायिकी योजना एक बार की योजना थी और दीर्घावधि प्रभाव नहीं रखती थी। पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह संदिग्ध भी है कि क्या छोटे उत्पादकों को उनका निहित लाभ वास्तव में मिला।

हमारा विचार है कि चाय की गुणवत्ता और उत्पाद मिश्रण सुधारने के लिए चाय बोर्ड की सामयिकता तथा प्रस्तावित कार्रवाई की मार्ग को यदि लागू भी की जाए, तो भी सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकते है जब तक कि इन उपायों पर अच्छी तरह संरचनाबद्ध और श्रमबल की उचित गुणवत्ता द्वारा समर्थित तथा सरकार से समय पर सहायता प्रयास नहीं किए गए।